

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक-699 दिनांक-22.04.2026 द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह (आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक-210/24), तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मंसूरचक-सह-अतिरिक्त प्रभार भगवानपुर, बेगूसराय सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या-039/2026 दिनांक-01.04.2026, धारा-7(a)/7(c)/12 भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) एवं BNS की धारा-61(2) दर्ज किये जाने एवं निगरानी धावा-दल द्वारा दिनांक-02.04.2026 को परिवादी से 12,000/- (बारह हजार) रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने संबंधी प्राप्त सूचना एवं प्रतिवेदित गंभीर आरोप के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक-2699 दिनांक-01.06.2026 द्वारा इन्हें कारा-निरोध की तिथि से निलंबित किया गया।

उल्लेखनीय है कि आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा श्री सिंह के कारागार से रिहा होने के उपरान्त निर्धारित मुख्यालय में योगदान दिये जाने संबंधी उपलब्ध करायी गयी सूचना के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक-4220 दिनांक-22.07.2026 द्वारा इनके द्वारा समर्पित योगदान को स्वीकृत करते हुए आदेश निर्गत की तिथि से पुनः निलंबित किया गया।

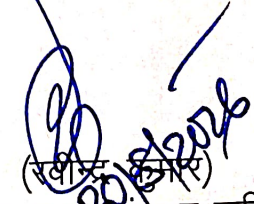
2. उक्त के क्रम में जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-1233 दिनांक-30.06.2026 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या-039/2026 दिनांक-01.04.2026 दर्ज किये जाने एवं परिवादी श्री पप्पू पासवान, पिता-बोढ़न पासवान, ग्राम-तेयाय, पंचायत-तकिया, प्रखंड-भगवानपुर, जिला-बेगूसराय से 12,000/- (बारह हजार) रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने तथा इनका कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 की कंडिका-3 के प्रतिकूल होने संबंधित प्रतिवेदित आरोप के लिए आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप के आलोक में इनसे लिखित बचाव अभिकथन की माँग की गयी। इस क्रम में इनके द्वारा समर्पित लिखित बचाव अभिकथन के समीक्षोपरान्त इनके विरुद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोपों की विस्तृत जाँच किये जाने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

3. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के संगत प्रावधानों के तहत श्री सिंह के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु उप निदेशक (खाद्य), कोशी प्रमंडल, सहरसा को संचालन पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बेगूसराय को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. संचालन पदाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि आरोपी कर्मी/पदाधिकारी को आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की एक प्रति अपने स्तर से तामिला कराते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही पूरी कर तत्संबंधी जाँच प्रतिवेदन निष्कर्ष/मंतव्य सहित विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही, श्री सिंह को निदेश है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु संचालन पदाधिकारी के आदेशानुसार उनके समक्ष उपस्थित होंगे।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(20)

ज्ञापांक- प्र08-गो0आ0(बेगूसराय)-09/2026- 5162 /खाद्य, पटना/दिनांक-20.08.2026

प्रतिलिपि- 1. प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया एवं प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (निगरानी विभाग), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. जिला पदाधिकारी, बेगूसराय एवं अनुमंडल पदाधिकारी, तेघड़ा, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. उप निदेशक (खाद्य), कोशी प्रमंडल, सहरसा-सह-संचालन पदाधिकारी (आरोप पत्र एवं साक्ष्य की प्रति तथा श्री सिंह द्वारा समर्पित बचाव बयान की प्रति के साथ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बेगूसराय-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी (आरोप पत्र एवं साक्ष्य तथा श्री सिंह द्वारा समर्पित बचाव बयान की प्रति के साथ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. अवर सचिव, प्रशाखा-03/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7. श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह (आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक-210/24), निलंबित आपूर्ति निरीक्षक (निलंबन अवधि में मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया), E-Mail : s.k.shilendra123@gmail.com, Mobile No. 9113152627 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।